मा0 मुख्यमंत्रीजी की महत्वांकाक्षी योजनायें

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का क्षमता में बढोत्तरी, उच्च उत्पादक क्षमता के गौवंषीय/महिषवंशीय पशुओं के उत्पादन एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कामधेनु/मिनीकामधेनु/माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाईयों की ब्याजमुक्त योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

1. कामधेनु /मिनीकामधेनु/माइक्रो कामधेनु डेयरी योजनाः-

योजना का स्वरूपः- कामधेनु डेयरी में 100 गाय/भैंस, मिनी कामधेनु में 50 गाय/भैंस एवं माइक्रो कामधेनु में 25 गाय/भैंस रखे जायेंगे। कामधेनु इकाई की स्थापना पर कुल 1.21521 करोड रुपये मिनी कामधेनु पर 50.58 लाख एवं माइक्रो कामधेनु पर 26.99 लाख का व्यय होगा। कुल व्यय का 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा तथा 75 प्रतिशत बैंक ऋण प्राप्त किया जायेगा। योजना में 75 प्रतिशत या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण जो भी कम हो पर 12 प्रतिशत की दर से बैंक ऋण पर ब्याज की धनराशि कामधेनु में अधिकतम 32.82 लाख तक, मिनी कामधेनु में अधिकतम 13.66 लाख तक तथा माइक्रो कामधेनु में अधिकतम 07.29 लाख तक 5 वर्षों में विभाग द्वारा बैंक को की जायेगी। पशुओं का क्रय प्रदेश से बाहर से किया जायेगा क्रय किये गये समस्त पशुओं का बीमा कराना आवश्यक होगा। लाभार्थी को निजी व्यय पर विभाग द्वारा 05 दिवसीय डेयरी प्रबन्धन, पशुपोषण तथा पशु स्वास्थ्य एवं रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सिर्फ गायो की इकाई की स्थापना निर्धारित अवधि में पूर्ण करने पर कामधेनु में 5 लाख रू0, मिनी कामधेनु में 2.5 लाख रू0 तथा माइक्रो कामधेनु में 1.25 लाख रू0 की एकमुश्त धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों को देय होगा।

चयन का मानक :- ऐसे लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो पशुपालन में रूचि रखता हो तथा पूर्व से ही पशुपालन का कार्य कर रहा हो । लाभार्थी के पास शेड बनाने की भूमि के अतिरिक्त कामधेनु में कम से कम 2 एकड़, मिनी कामधेनु में कम से कम 1 एकड़ तथा माइक्रो कामधेनु में 0.5 एकड भूमि होना आवश्यक है।

2. उत्तर प्रदेष कुक्कुट विकास नीति-2013ः-

प्रदेश में अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृण बनाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013 लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत दो योजनाऐं कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना संचालित हैं।

योजना का स्वरूप एवं पात्रताः- कामर्शियल लेयर फार्म में 30 हजार पक्षियों की इकाई होगी। इकाई की कुल लागत 1.8 करोड रुपये है, तथा ब्रायलर फार्म में 10 हजार ब्रायलर पक्षियों की इकाई होगी। इकाई की कुल लागत 2.0650 करोड रुपये है, जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी एवं 70 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के रुप में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति 05 बर्षो में कामर्शिलय में अधिकतम 40 लाख तथा ब्रायलर में अधिकतम 45 लाख विभाग द्वारा की जायेगी। योजना हेतु भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी में कामर्शियल में अधिकतम 3 एकड़ तथा ब्रायलर में अधिकतम 6 एकड़ नियमानुसार छूट सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 बर्ष तक कामर्शियल में 1200रू0 प्रति माह तथा ब्रायलर में 2400 रू0 प्रतिमाह की दर से इलेक्सिटी डयूटी एवं सी0एस0टी और वेट में नियमानुसार छूट भी प्राप्त होगी।

10000पक्षियों की लेयर योजनाः-

योजना का स्वरूप एवं पात्रताः- कामर्शियल लेयर फार्म में 10 हजार पक्षियों की इकाई होगी। इकाई की कुल लागत 70 लाख रुपये है, जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी एवं 70 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के रुप में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति 05 बर्षो में कामर्शिलय में अधिकतम 13.33 लाख तथा योजना हेतु भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी में कामर्शियल में अधिकतम 1 एकड़ नियमानुसार छूट सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 बर्ष तक कामर्शियल में 400 रू0 प्रतिमाह की दर से इलेक्सिटी डयूटी एवं सी0एस0टी और वेट में नियमानुसार छूट भी प्राप्त होगी।

कामधेनु /मिनीकामधेनु/ माइक्रो कामधेनु योजना की अद्यतन प्रगति

योजना का नाम	कामधेनु योजना	मिनी कामधेनु योजना	माइक्रो कामधेनु योजना
इकाई में निर्धारित पशु संख्या	100	50	25
योजना की धनराशि	121 लाख	50.58 लाख	26.99 लाख
भूमि की आवश्यकता	02 एकड	01 एकड	0.5 एकड
पांच वर्षों में बैंक ऋण पर ब्याज की सब्सिडी	32.82 लाख	13.66 लाख	07.29 लाख
केवल गाय की इकाई ससमय स्थापित करने पर एकमुश्त अनुदान	5.0 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख
चयन का लक्ष्य	06	37	40
चयनित लाभार्थी	06	35	40
लाभार्थियों की संख्या जिनका बैंक से ऋण स्वीकृत हो चुका है	06	35	28
लाभार्थियों की संख्या जिनकी इकाई क्रियाशील हो चुकी है	05	35	17
क्रियाशील इकाईयों में क्रय किये गये कुल पशुओं की संख्या	362	1396	132
क्रियाशील इकाईयों में प्रतिदिन औसत दुग्ध उत्पादन ली0 में0	1850	9025	1263

कामर्शियल लेयर / एवं ब्रायलर पक्षी योजना की अद्यतन प्रगति

योजना का नाम	30 हजार पक्षी की कामर्शियल लेयर यूनिट	10 हजार पक्षी की कामर्शियल लेयर यूनिट	10 हजार पक्षी की ब्रायलर लेयर यूनिट
इकाई में निर्धारित पक्षी	30000	10000	10000
योजना की धनराशि	180 लाख	70 लाख	206.50 लाख
भूमि की आवश्यकता	3 एकड	01 एकड	6 एकड
मार्जिन मनी	54 लाख	21 लाख	61.50 लाख
बैंक ऋण	126 लाख	49 लाख	145 लाख
पांच वर्षों में बैंक ऋण पर ब्याज की सब्सिडी	40 लाख	13.33 लाख	45 लाख
चयन का लक्ष्य	03	09	02
प्राप्त आवेदकों की संख्या	13	08	0
निर्गत एल0ओ0सी0	13	07	0
निरस्त आवेदन	07	01	0
लाभार्थियों की संख्या जिनका बैंक से ऋण स्वीकृत हो चुका है	01	0	0
लाभार्थियों की संख्या जिनकी इकाई क्रियाशील हो चुकी है	01	0	0
क्रियाशील इकाईयों में डाले गये पक्षियें की संख्या	30000	0	0
क्रियाशील इकाईयों में प्रतिदिन औसत अण्ड़ा उत्पादन	30 04.2016 तक क्रमिक अण्डा उत्पादन 24500 प्रतिदन 1597000	-	-

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

अलीगढ़।

सेवामें,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,

अलीगढ़।

पत्रॉकः- /लेखा दिनॉकः-

महोदय,

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में पशुपालन विभाग में मा0 मुख्यमंत्रीजी के विशेष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम/योजना के सम्बन्ध में विवरण एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ (सी0डी0 में) इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः- उक्तानुसार भवदीय,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

अलीगढ़।